

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1910
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- पर्यटक पुलिस योजना
1910. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पर्यटक पुलिस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटक पुलिस, पर्यटक पुलिस स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए कहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह संज्ञान में आया है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन पुलिस की स्थापना की है;
- (ङ) पर्यटक पुलिस और पर्यटक पुलिस स्टेशन बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (च) देश में पर्यटक पुलिस वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और उस राज्य (उन राज्यों) में इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) और (ङ): पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मूल रूप से राज्य सरकार का विषय है। तथापि पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा संबंधी चिंता से भली-भांति परिचित है और मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। पिछले कुछ समय में पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष उठाया है और पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश मुहैया कराए जाने की बात को दोहराया है। किसी पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर उस स्थिति से निपटने और प्रभावित पर्यटकों को संतोषजनक समाधान दिए जाने के लिए कानून एवं व्यवस्था की एक सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए।

पर्यटन मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में विशेष पर्यटन पुलिस के सृजन के लिए गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर&डी) से सिफारिश की है।

पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय तथा बीपीआर&डी के सहयोग से दिनांक 19.10.2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों के महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के साथ पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

विशिष्ट पर्यटक पुलिस की तैनाती का उद्देश्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि दलाल और ठग पर्यटकों को परेशान न कर सकें। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर&डी) ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित उद्देश्यों से 'पर्यटक पुलिस योजना' पर एक रिपोर्ट तैयार की है:

- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस विंग की स्थापना हेतु अनुकरणीय आदर्श का सुझाव देना। यह आदर्श विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित हो:
 - i. राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रचालन कार्यप्रक्रिया तैयार करना।
 - ii. 'पर्यटक पुलिस' के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
 - iii. पर्यटक पुलिस की वर्दी के लिए सुझाव।

एक व्यापक कार्यढाँचा तैयार करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर&डी) ने पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया और एक अत्यधिक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पर्यटक पुलिस के लिए पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया है। यह रिपोर्ट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी गृह मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

(घ) और (च):पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।
